

13/4/26

पत्रावली पेश हुई तार एसोशियेशन ने  
कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन  
किया। पत्रावली इलतवा होकर दिनांक

20/4/26 का पेश हो।

20/4/26

पत्रावली पेश हुई तार एसोशियेशन ने  
कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन  
किया। पत्रावली इलतवा होकर दिनांक  
20/4/26 का पेश हो।

06.05.2026 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 09.09.2025 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। परन्तु आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है।

वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी वादपत्र हाजा को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः वादपत्र अधीन धारा 88,53,188 आरटीएक्ट 1955 जरिये "नोटप्रेस" खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Not press  
channel

(दिव्या सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना-कुचामन)